



कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,

चंदवारा, मुजफ्फरपुर पिन-842001

कौसर नियाजी (बि०शि०रो०)
प्रभारी प्राचार्य

Website :- www.ptecchandwara.co.in
E-mail :- ptecchandwara1934@gmail.com



कार्यालय आदेश

डी० एल० एड० सत्र 2022-24 के नामांकित प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि विभागीय पत्र सं० 439 दिनांक 17.08.2023, ज्ञापांक-511 दिनांक-05.09.2023, ज्ञापांक-569 दिनांक-05.09.2023 महाविद्यालय के ज्ञापांक-63 दिनांक-22.04.2022, एवं ज्ञापांक 343 दिनांक 22.09.23 (पत्र संलग्न) के द्वारा एवं बार-बार दूरभाष के माध्यम से सूचित करने के साथ-साथ महाविद्यालय द्वारा निर्मित वाट्सऐप समूह के माध्यम से लगातार सूचना देने के में बावजूद भी 85 प्रतिशत उपस्थिति न रहने वाले प्रशिक्षुओं की सूची में से सर्वाधिक निम्न उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं की सूची निम्नलिखित है। जिसका नामांकन निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, द्वारा प्राचार्य वाट्सऐप समूह पर दिये गये निर्देश के आलोक में सामूहिक निर्णय से औपबधिक रूप से रद्द की जाती है।

क्र०सं०	रोल नं०	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	अभ्युक्ति
1	4	पल्लव राज	अरुण लाल	12.11.1992	
2	17	नन्दनी भारती	शिव शम्भू साह	17.08.1998	
3	63	सुबोध कुमार	बिन्दा साह	22.06.1997	
4	83	अमितेश राज	अनिरुद्ध प्रसाद	05.05.1994	
5	86	अकाश कुमार	बदरी साह	05.06.2000	
6	106	विकेश कु०	सीताराम महतो	03.05.1997	
7	130	असअहुल हक	मो० मजरूल हक	21.01.1996	
8	131	निशा कुमारी	मुखलाल राम	08.08.2003	
9	134	उज्ज्वल कुमार	राकेश सिंह	11.05.2000	
10	136	कुणाल कु० मिश्र	धर्मेन्द्र मिश्रा	09.10.1999	

ह०-

प्रभारी प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
चंदवारा, मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 388 चंदवारा, मुजफ्फरपुर / दिनांक- 26.09.2023

प्रतिलिपि- निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

K. S. B.
26.09.2023

प्रभारी प्राचार्य,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
चंदवारा, मुजफ्फरपुर

Ganad
26/09/2023

26/09/2023

26.9.2023

26/09/2023

26/09/23

Ragini
26-09-2023

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पेपक,

सज्जन आर, (भा.प्र.से),
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

पटना, दिनांक 22/09/23

विषय:- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति के संबंध में।
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 439 दिनांक 17.08.2023
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न संचालित कोर्स (बी०एड०, एम०एड०, डी०एल०एड०) में सारे प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम सत्र के अंत तक, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 85 प्रतिशत अनिवार्य है तथा 85 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें अगली परीक्षा हेतु फार्म भरने नहीं दिया जाएगा- ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था।

सम्यक विचारोपरान्त सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति नई समय सारणी को लागू करते हुए शतप्रतिशत अनिवार्य कर दिया गया है तथा अनुपस्थित पाये जाने वाले प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इन प्रशिक्षुओं की प्रतिदिन की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी आश्वस्त हो ले कि बायोमैट्रिक मशीन का API access निदेशालय के कार्यालय में हो। सभी प्रशिक्षुओं का प्रतिदिन गूगल फार्म में उपस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर अपराह्न 2:00 बजे तक उपलब्ध करावें ताकि शाम 5:00 बजे की समीक्षात्मक बैठक में इस उपस्थिति पर चर्चा हो सकें।

यह भी निदेश दिया जाता है कि Morning School Experience Program (SEP) के पश्चात् प्रशिक्षुओं द्वारा उपस्थिति नहीं दर्ज करने पर उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा।

यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी उसी Configuration वाली बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करें जिसकी चर्चा की गयी है।

Configuration (बायोमैट्रिक मशीन)- "e-Time office Timeoffice Face Attendance Machine 2500 v2 with cloud connection with api data in json"

100 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य नियमानुसार उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इसे अति आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

(सज्जन आर)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।